

राजस्थान राज्य सूचना आयोग G.S.T.IN-08JPRR04309E1D9

ओ0 टी0 एस0 परिसर के पीछे, झालाना लिंक रोड, जयपुर -302017
(फोन नं 0141-2719136)

क्रमांक:- प. 6() रा.सू.आ./लेखा/एमसी/2020/

दिनांक


:: बोली सूचना संख्या - 3 /2020-21 ::

अद्योहस्ताक्षरकर्ता द्वारा निम्नांकित कार्य हेतु एक वर्ष की दर संविदा के लिये मोहरबन्द निविदायें दिनांक 05.08.2019 तक आमन्त्रित की जाती है।

क्र. स.	कार्य /आपूर्ति का नाम	अनुमानित लागत (लाखों में)	अमानत राशि	निविदा बेचने के अंतिम तिथि	निविदा प्राप्त करने व खोलने की तिथि
1.	राजस्थान राज्य सूचना आयोग भवन में उपलब्ध कम्प्यूटर, प्रिन्टर व LAN की ए.एम.सी. कार्य एवम उनके उपयोग में आने वाले स्पेयर पार्ट की संविदा दर पर आपूर्ति करने हेतु।	1.00 लाख रुपये	2000/-	27.08.2020 अपराह्न 12:00 बजे तक	27.08.2020 प्रतिनिधियों के समक्ष अपराह्न 3:00 बजे

नोट:-

1. निविदा प्रपत्र राजस्थान राज्य सूचना आयोग कार्यालय में लेखा शाखा से रुपये राशि 100/- कार्यालय में जमा कर प्राप्त किये जा सकते हैं
2. निविदा से संबंधित अन्य शर्तें कार्यालय में कार्यालय समय में एवं आयोग की वेबसाइट Ric.rajasthan.gov.in व विभागिय वेबसाइट <http://sppp.rajasthan.gov.in> पर देखी जा सकती है एवं डाउनलोड की जा सकती है।
3. निविदा प्राप्त करने की तिथि को राजकीय अवकाश रहता है, तो निविदायें अगले कार्य दिवस को प्राप्त की जावेगी।


सचिव
राजस्थान राज्य सूचना आयोग
जयपुर
दिनांक 10/25/20

सोचिव

राज्य सूचना आयोग
जयपुर

2

फॉटो संख्या 102523

राजस्थान राज्य सूचना आयोग

G.S.T.IN-081PRR04309E1D9

ओ० टी० एस० परिसर के पीछे, झालाना लिंक रोड, जयपुर -302017

(फोन नं 0141-2719136)

आयोग के कम्प्यूटर्स एवं प्रिन्टर्स के वार्षिक रख-रखाव हेतु अनुबंध की शर्त :-

1. बोलीदाता द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली बिड पंजीकृत फर्म / कम्पनी / संस्था / सोसायटी द्वारा ही दी जानी चाहिए इसका प्रमाणिक अभिलेख बिड के साथ संलग्न करना होगा।
2. बोलीदाता की फर्म का वाणिज्य कर विभाग में पंजीयन होना आवश्यक है तथा बोली दाता का कार्यालय जयपुर में होना चाहिए।
3. बोलीदाता फर्म की स्थिति में उक्त बिड प्रस्तुत किये जाने की स्थिति में फर्म के प्रत्येक साझेदार के हस्ताक्षर अथवा साझेदारों की ओर से किसी एक साझेदार को अधिकृत करने की स्थिति पॉवर ऑफ अटोनी प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। बिड स्वीकृति के पश्चात बोलीदाता के संविधान में कोई परिवर्तन बोलीदाता के पूर्व सदस्यों के अनुबंध के उत्तरदायित्वों पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं डालेगा। इसी प्रकार जब तक इस अनुबंध के वहन को नया साझेदार स्वीकार नहीं करें तब तक कोई नया साझेदार स्वीकार नहीं किया जावेगा।
4. बोलीदाता कम्पनी/फर्म/सोसायटी होने पर अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा ही बिड भरी जावेगी। अधिकृत प्रतिनिधि को अपना अधिकृत पत्र बिड के साथ प्रस्तुत करना होगा।
5. बोलीदाता का प्रतिनिधि/इन्जीनियर को बुलाये जाने पर 24 घन्टें में अपनी सेवाएं देनी होंगी।
निर्धारित अवधि में सेवाएं नहीं देने पर निम्नानुसार पैनल्टी की वसूली बिल की राशि में से की जायेगी।
—
- अ. निर्धारित अवधि से 1/4 अवधि तक विलम्ब के लिए 2.5 प्रतिशत
- ब. निर्धारित अवधि से 1/2 अवधि तक विलम्ब के लिए 5 प्रतिशत
- स. निर्धारित अवधि से 3/4 अवधि तक विलम्ब के लिए 7.5 प्रतिशत
- द. निर्धारित अवधि से तीन चौथाई से अधिक अवधि के लिए 10 प्रतिशत
6. बोलीदाता द्वारा बिड में दी गई दरें अनुबंध की अवधि की तिथि से एक वर्ष के लिये मान्य होंगी। बोलीदाता द्वारा अनुबन्ध का निष्पादन 500/- (अक्षरों एक हजार रुपये मात्र) के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर करना होगा। बोलीदाता का कार्य संतोषजनक रहने पर अनुबन्ध अवधि एक वर्ष के लिए आपसी लिखित सहमति से बढ़ाई जा सकेगी। आयोग द्वारा बोलीदाता का कार्य असंतोषजनक पाये जाने पर अनुबन्ध तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया जावेगा। यदि बोलीदाता द्वारा अनुबन्ध का अनुपात अवधि के दौरान ही समाप्त किया जाता है, तो बोलीदाता की जमा धरोहर राशि आयोग द्वारा जब्त कर ली जायेगी।

हमें उक्त एवं संलग्न शर्तें मान्य है।

बोलीदाता के हस्ताक्षर

(मय नाम,सील एवं मो० न० सहित)

(मय नाम, सील एवं नो 10 सील)

बोलीदाता के हस्ताक्षर

हमें उक्त एवं संलग्न शर्तें मान्य हैं।

7. बोलीदाता द्वारा पुराने पार्ट्स बदलने की स्थिति में सम्बन्धित कर्मचारी द्वारा हिल को प्रमाणित करते समय यह आवश्यक रूप से आंकित किया जावेगा कि "पुराने/अनुपयोगी कर्जुमैबल पार्ट्स को बोलीदाता से प्राप्त कर लिया गया है तथा स्टेर में जमा करवा दिया गया है तथा कम्प्यूटर्स/प्रिन्टर्स सिंथारु रूप से कार्य कर रहे हैं।"
8. बोलीदाता को शिकायत के 24 घंटे के अन्दर-अन्दर अपने प्रतिनिधि/इंजीनियर को अनिवार्य रूप से आयोग में भेजकर कम्प्यूटर्स / प्रिन्टर्स को ठीक करने के लिए सेवा देनी होगी। बोलीदाता द्वारा किसी दिन प्रतिनिधि / इंजीनियर संबंधित आयोग में नहीं भेजने पर नियमानुसार कटौती कर दी जावेगी। बोलीदाता द्वारा समय पर शिकायत का समाधान करने हेतु प्रतिनिधि / इंजीनियर नहीं जावेगी।
9. भेजने की स्थिति में यदि आयोग से सेवाएं ली जाती हैं, तो व्यय की गई राशि की बरसूली बोलीदाता से की जावेगी।
9. सफल बोलीदाता को हिल की अनुमति राशि का उपलिपत धरोहर/कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि 10,000/- का डी0डी0 "सविध राजस्थान राज्य सेवना आयोग जयपुर" के नाम से जमा करवाना होगा, जिस पर कोई ब्याज देय नहीं होगा। बोलीदाता द्वारा निष्पादित किये गये अनुबन्ध की किसी भी शर्त का उल्लंघन करने पर जमा की गई धरोहर राशि जब कर ली जावेगी।
10. बोलीदाता को अपना हिल भुगतान हेतु प्रिन्ट हिल पर प्रस्तुत करना होगा, जिस पर नियमानुसार टी. टी. ए.स. की कटौती की जावेगी तथा बोलीदाता को GST जमा करवाकर चालान की प्रति हिल के साथ प्रस्तुत करनी होगी अथवा GST देय नहीं होने पर बोलीदाता को इस आशय का प्रमाण पत्र आयोग को हिल के साथ प्रस्तुत करना होगा। निविदा में जो दर प्रस्तुत की जावेगी उसमें वेट/जीएसटी या अन्य कर शामिल करते हुए दे दी जावेगी।
11. बोलीदाता द्वारा कार्य सिंथारु रूप से नहीं किये जाने पर आयोग को यह अधिकार होगा कि वह वैकल्पिक व्यवस्था के माध्यम से कार्य करवाने के लिये स्वतंत्र होगा तथा हिल-वर्क की राशि बोलीदाता के हिल/धरोहर राशि से बरसूली की जा सकेगी। फिर भी कोई राशि बकाया रहती है, तो बोलीदाता के हिल/धरोहर राशि उसकी व्यवहारात सम्पत्ति से बरसूली की जा सकेगी।
12. बोलीदाता को आयकर रैन नम्बर की प्रमाणित प्रति हिल के साथ संलग्न कर प्रस्तुत करनी होगी।
13. बोलीदाता को कम्प्यूटर्स / प्रिन्टर्स का रख-रखाव का हिल प्रति तीन माह में प्रस्तुत करना होगा। हिल राशि का भुगतान बोलीदाता को नियमानुसार आनलान किया जावेगा।
14. सफल बोलीदाता को अपने इंजीनियर्स एवं मैकेनिक की सूची तथा उनके दरमामा नो कार्यालय में उपलब्ध करवाने होंगे। आवश्यकता पड़ने पर गुरन्त सर्विस दी जावेगी तथा आवश्यकता हुआ तो स्टैण्ड बाई स्टैण्ड की व्यवस्था की जावेगी।
15. कम्प्यूटर एवं इससे सम्बन्धित उपकरणों के वार्षिक रख-रखाव व्यवस्था को प्रभावी बनाने के लिए आयोग अपने स्तर से किसी अधिकारी को सन्टीनन्स कार्य हेतु नौजल अधिकारी नियुक्त कर आवश्यक दिशा निर्देश पत्रक से जारी कर सकेगा।

(फोन नं 0141-2719136)

ओ 10 एस0 परिसर के पीछे, झालाना लिंक रोड, जयपुर -302017

राजस्थान राज्य सेवना आयोग G.S.T.IN-08JPRR04309E1D9

कोड संख्या 102523

जयपुर

3

राजस्थान राज्य सेवना आयोग

सचिव


सचिव

राजस्थान राज्य सूचना आयोग
जयपुर

राजस्थान राज्य सूचना आयोग G.S.T.IN-08JPRR04309E1D923

ओ० टी० एम० परिसर के पीछे, झालाना लिंक रोड, जयपुर -302017
(फोन नं 0141-2719136)

16. निविदा दाता को अमानत (बयाना) राशि रुपये 4000 /-का डिमान्ड ड्राफ्ट / बैंकर्स चेक प्रस्तुत करना होगा, जो सचिव राजस्थान राज्य सूचना आयोग जयपुर के नाम से देय होना अमानत / बयाना राशि के अभाव में निविदा पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

17. निर्धारित तिथि के पश्चात् एवं बिना अमानत राशि के प्राप्त बिड मान्य नहीं होगी।

18. बिड को स्वीकार / अस्वीकार करने का अधिकार सचिव राजस्थान राज्य सूचना आयोग के पास सुरक्षित होगा।

19. वार्षिक रख -रखाव की दरें होगी, किन्तु प्रिन्टर हैड, कारटेज, मोडम, नोब, रिबिन, यूपीएस बैटरी, सीडी रोम, सीडी राईटर, कोम्बो ड्राइव रबर एवं प्लास्टिक आईटम एएमसी मे कवर नहीं होंगे। वर्तमान में आयोग के विभिन्न कार्यालयों आदि में लगे कम्प्यूटर, प्रिन्टर, लेजर प्रिन्टर का विवरण संलग्न सूची में है, जो इस संविधा का भाग होंगे। सख्या में कमी / बेशी सम्भव है।

20. बोलीदाता द्वारा उपलब्ध करवाये गये प्रतिनिधि / इन्जीनियर को आयोग का कर्मचारी नहीं माना जावेगा एवं इन्हे आयोग की ओर से किसी प्रकार का वेतन देय नहीं होगा।

21. राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 के अध्याय 2 के बिन्दु संख्या 7 बोली लगाने वाले की अर्हताएँ के उप बिन्दु 2 के अन्तर्गत - (ग) बोली लगाने वाला दिवालिया, रिसीवर के अधीन शोधन अक्षम नहीं होगा या परिसमापन नहीं कर रहा होगा, न किसी न्यायालय या किसी न्यायिक अधिकारी द्वारा प्रशासित कार्यालय रखेगा, न अपने कारोबार के क्रियाकलाप निलम्बित रखेगा और न पूर्वगामी कारणों में से किसी के लिए भी विधिक कार्यवाही के अध्यक्षीन होगा।

(घ) अपने वृत्तिक आचरण या उपापन प्रक्रिया के आरम्भ के पूर्ववती तीन वर्ष की किसी कालावधि के भीतर कोई उपापन संविदा किये जाने के लिए अपनी अर्हताओं के बारे में मिथ्या कथन करने या दुर्घ्यपदेशन सम्बन्धी किसी दौंडिक अपराध के संबंध में न तो स्वयं, और न उनके निदेशक और अधिकारी दोष सिद्ध हुए है, या विवर्जन कार्यवाहियों के अनुसरण में अन्यथा निरहित हुए है।

(ड) ऐसे हित, जो पूर्व अर्हता के दस्तावेजों, बोली लगाने वाले के रजिस्ट्रीकरण दस्तावेजों या बोली दस्तावेजों में विहित और विनिर्दिष्ट किये जाये के प्रति कोई विरोध नहीं रखेगा, जो उचित प्रतियोगिता को तात्त्विक रूप में प्रभावित करें।

22. विवाद की स्थिति मे सचिव राजस्थान राज्य सूचना आयोग जयपुर का निर्णय अन्तिम होगा, जो बोलीदाता को मान्य होगा।

उपरोक्त निविदा से संबंधित शर्तें मैंने / हमने पढ़ ली है और यह शर्तें मुझे / हमें स्वीकार है।

23-ए एम सी व कम्प्यूटर व प्रिन्टर के पार्ट्स की दरें annexure - A में प्रस्तुत करनी होगी।

हमें उक्त एवं संलग्न शर्तें मान्य है।

बोलीदाता के हस्ताक्षर

(मय नाम, सील एवं मो० न० सहित)

राजस्थान राज्य सूचना आयोग G.S.T.IN-08JPRR04309E1D9

ANNEXURE -A

Computer & printers AMC rate & spare parts rates

S. No.	Description	Qty.	Rate
1.	Desktop P- IV Computers along with Local Area Networking	30	
2.	Laser Printer A4 size	28	


Spare Parts:-

S.No.	Particulars	Rate Inclusive G.S.T.
1.	Teflon	
2.	Pressure Roller	
3.	Paper pickup roller	
4.	Drum	
5.	PCR	
6.	Magnet Roller	
7.	Blade	
8.	Wiper Blade	
9.	Tonner Riffle RICOH	
10.	Tonner Riffle of different printer	
11.	Mouse HP, Dell, USB	
12.	UPS Battery Exide	
13.	Key Board HP, Dell	
14.	SMPS	

Antivirus:-

16.	Quick Heal Pro- Single	
17.	Quick Heal Pro- Multi	
18.	Quick Heal Internet Security- Single 1year	
19.	Quick Heal Internet Security- Multi	
20.	Quick Heal Total Security- Single	
21.	Quick Heal Total Security- Multi	

बोलीदाता के हस्ताक्षर


सचिव

राजस्थान राज्य सूचना आयोग

जयपुर

फॉर्म संख्या 102523

राजस्थान राज्य सूचना आयोग G.S.T.IN-08JPRR04309EID9

23.	HP 1020 new printer tonner	
24.	Ward WIZ internet security single	
25.	Ward WIZ internet security mulity	
26.	Total security essential plues	
27.	Tenda S port switch	
28.	Connector	
29.	TVS Gold USB Key Board	
30.	Chip	
31.	RAM DDR -2=2GB	
32.	RAM DDR -3=4GB	
33.	RAM DDR -4=4GB	
34.	Seagate 500 GB HDD	
35 .	LAN cable cat 6	

बोलीदाता के हस्ताक्षर